

*समक्ष जवाहर लाल गुप्ता और एन. के. अग्रवाल, माननीय न्यायमूर्ति*

अशोक कुमार गर्ग, -याचिकाकर्ता

*बनाम*

भारत संघ और अन्य, -प्रतिवादीगण

सी. डब्ल्यू. पी. न० 1998 का 18725

17अप्रैल, 1999

*पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948-धारा. 2 (ई) और 2 (एच)-पंजाब सामान्य बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1997 का सं. 7, धारा 10-सी-प्रतिवादी को श्रम की आपूर्ति करने वाला याचिकाकर्ता-1997 अधिनियम-धारा 10-सी, धारा 10-सी के तहत श्रम की आपूर्ति पर 2 प्रतिशत बिक्री कर लगाना और कटौती करना। श्रम में माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण शामिल नहीं है-श्रम की आपूर्ति पर बिक्री कर जो देय नहीं है-कर की वापसी का आदेश।*

अभिनिर्धारित किया जाता है कि, बिक्री कर का उद्ग्रहण पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। 1948 में यह अधिनियम पंजाब में वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर सामान्य कर लगाने का प्रावधान करने के लिए बनाया गया था। धारा 2 (एच) अन्य बातों के साथ-साथ 'बिक्री' के अर्थ और माल में संपत्ति के हस्तांतरण को परिभाषित करती है।" बिक्री कर तभी लगाया जाता है जब माल में संपत्ति का हस्तांतरण होता है। जब तक माल में संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता, तब तक बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता है।

(पैरा 7)

इसके अतिरिक्त निर्धारित किया जाता है की, पंजाब सामान्य बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा 10-सी (1) एक कार्य ठेकेदार को देय राशि से कर कटौती करने को अधिकृत करती है। भुगतान किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए होना चाहिए। यह दायित्व "कार्य अनुबंध के अनुसरण में माल में संपत्ति के हस्तांतरण (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में)" के कारण होना चाहिए था, यह स्पष्ट है कि जब तक "माल में संपत्ति का हस्तांतरण" नहीं होता है, तब तक कोई कटौती करने का कोई दायित्व नहीं है।

(पैरा 9)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि याचिकाकर्ता केवल श्रम की आपूर्ति कर रहा है। वह किसी भी सामान की आपूर्ति नहीं कर रहा है। किसी भी रूप में कोई सामग्री, वस्तु या वस्तु हस्तांतरित नहीं की जा रही है। श्रम की आपूर्ति एक सेवा हो सकती है। हालांकि, इसमें माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण शामिल नहीं है। इस प्रकार, कोई बिक्री कर या खरीद कर नहीं लगाया जाता है।

(पैरा 11)

डी. डी. बंसल, याचिकाकर्ता के वकील

अनिल राठी, वकील, संख्या 1 से 3 प्रतिवादीगण के लिए

### निर्णय

जवाहर लाल गुप्ता, जे.

(1) क्या पंजाब सामान्य बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1997 के प्रावधानों को देखते हुए ठेकेदार द्वारा मानव-शक्ति की आपूर्ति पर बिक्री कर लगाया जा सकता है? इस मामले के निर्णय के लिए प्रासंगिक कुछ तथ्यों पर संक्षेप में ध्यान दिया जा सकता है।

(2) डिवीजनल इंजीनियर, टेलीफोन ने श्रम की आपूर्ति के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं। इस नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता ने एक निविदा प्रस्तुत की। 10 मार्च, 1998 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि महाप्रबंधक ने उनके द्वारा उद्धृत दरों को स्वीकारित दे दी है। उन्हें एक समझौते को लागू करने के लिए बुलाया गया था। 18 मार्च, 1998 को इस समझौते को लागू किया गया। अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया था कि "मानव-शक्ति का शुल्क रु 84 प्रति दिन प्रति श्रम होगा (या)।" ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता समय-समय पर बिल जमा कर रहा था। प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 ने आयकर और बिक्री कर की प्रत्येक 2 प्रतिशत की दर से कटौती के बाद भुगतान को मंजूरी दी। इसे स्पष्ट करने के लिए: सितंबर, 1998 के महीने के लिए, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता ने 200 मजदूर, 84 रु प्रति मजदूर, की दर से आपूर्ति की। याचिकाकर्ता 21,840 रुपये के भुगतान का हकदार था। परंतु, आयकर और बिक्री कर के कारण 2 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश दिया गया। इस प्रकार, बिक्री कर के कारण रु 437 की कटौती करने का आदेश दिया गया। आयकर के लिए भी उतनी ही राशि काटनी पड़ी। तदनुसार, 20966 रुपये के भुगतान के लिए बिल को मंजूरी दी गई

थी। एक अन्य विधेयक के संबंध में भी यही स्थिति थी। इन दो बिलों/भुगतान आदेशों की प्रतियां, रिट याचिका के साथ अनुलग्नक, पी. 5 और पी. 6 के रूप में प्रस्तुत की गई हैं।

(3) याचिकाकर्ता शिकायत करता है कि समझौते के अनुसार, उसे "मानव-शक्ति की आपूर्ति करने की आवश्यकता थी और न की कोई ऐसी सामग्री जिस पर बिक्री कर लगाया जा सके और ..... न ही कोई माल की आपूर्ति जिस पर बिक्री कर की कटौती की जा सके। इस प्रकार, वह प्रार्थना करता है कि कटौती करने में प्रतिवादीगण की कार्रवाई को खारिज किया जाए और उन्हें निर्देश दिया जाए कि "भविष्य में श्रम बिलों से बिक्री कर की कटौती न की जाए"। वह पहले से ही कटौती की गई राशि की वापसी के लिए भी प्रार्थना करता है।

(4) प्रतिवादीगण की ओर से दायर लिखित बयान में यह कहा गया है कि "बिक्री कर की कटौती पंजाब सामान्य बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1997 के संशोधित प्रावधानों के अनुसार की गई है।" विधायिका ने "अधिनियम में धारा 10-सी पेश की थी, जिसके अनुसार किसी कार्य अनुबंध के अनुसरण में माल में संपत्ति के हस्तांतरण (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में) के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए किसी भी विक्रेता (इसके बाद इस धारा में ठेकेदार के रूप में संदर्भित) को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति, ठेकेदार को नकद या किसी अन्य तरीके से ऐसा भुगतान करते समय, आंशिक रूप से या जैसी भी स्थिति हो, ऐसी राशि के 2 प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती करेगा, ऐसे कार्य अनुबंध के कारण इस अधिनियम के तहत देय कर की पूरी संतुष्टि"। यह भी कहा गया है कि दूरसंचार विभाग ने 2 सितंबर, 1998 को व्यापक निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के अनुसरण में, बिक्री कर के कारण देय राशि को, याचिकाकर्ता सहित, विभिन्न ठेकेदारों को किए गए भुगतान से काट लिया गया था। इन परिसरों में, प्रतिवादीगण का कहना है कि याचिकाकर्ता को किए गए भुगतान से बिक्री कर लगाने और काटने की उनकी कार्रवाई कानूनी और वैध है।

(5) पक्षों के वकीलों को सुना गया है।

(6) याचिकाकर्ता की ओर से एकमात्र यह तर्क दिया गया है कि श्रम की आपूर्ति पर कोई बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता है। प्रतिवादीगण की ओर से दावा किया जाता है कि शुल्क और कटौती धारा 10-सी के प्रावधानों के अनुरूप है। क्या ऐसा है?

(7) बिक्री कर का उद्ग्रहण पंजाब सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1948 के प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है। पंजाब में वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर सामान्य कर लगाने का प्रावधान करने के लिए इस अधिनियम को लागू किया गया था। धारा 2 (एच) 'बिक्री' को, अन्य बातों के साथ, परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है 'माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण'। कर योग्य घटना, एक बिक्री है, "जो अधिनियम के लागू होने के बाद की गई हो"। कर का भुगतान करने का दायित्व विक्रेता का है" जिसमें सरकार का एक विभाग भी शामिल है जो व्यापार के सामान्य क्रम में किसी भी वस्तु को बेचता या खरीदता है।" धारा 2 (ई) के अनुसार 'माल' का अर्थ है "समाचार पत्रों के अलावा अन्य व्यावसायिक परिसरों में उपभोग की जाने वाली सभी प्रकार की चल संपत्ति और सामान और इसमें कार्य अनुबंध के निष्पादन में शामिल माल (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में) सहित सभी सामग्री, वस्तुएं और वस्तुएं शामिल हैं"। दूसरे शब्दों में, बिक्री कर केवल तभी लगाया जाता है जब माल में संपत्ति का हस्तांतरण होता है। एक कार्य अनुबंध के मामले में कानून एक काल्पनिक बिक्री का परिचय देता है। इसे स्पष्ट करने के लिए: जब कोई बिल्डर एक निर्मित घर बेचता है, तो वह वास्तव में ईंटें, सीमेंट, रेत और स्टील नहीं बेच रहा होता है। परंतु 'माल' और 'बिक्री' की संशोधित परिभाषाओं के अनुसार, इन सामग्रियों को बेचा गया माना जाएगा ताकि कर लगाया जा सके। हालांकि, कर योग्य घटना संपत्ति के सामान का हस्तांतरण है। जब तक माल में संपत्ति का हस्तांतरण नहीं होता, तब तक बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता है।

प्रतिवादीगण के वकील, श्री राठी, ने तर्क दिया कि 15 जुलाई, 1997 (1997 का पंजाब अधिनियम संख्य 7) की अधिसूचना में किए गए संशोधन को देखते हुए यह स्थिति बदल गई है। क्या ऐसा ही है?

धारा 10-सी (1) निम्नलिखित प्रावधान करती है:-

“इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी विक्रेता (इसके बाद इस धारा में ठेकेदार के रूप में संदर्भित) को माल में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए देय मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति (चाहे वह माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में)

कार्य अनुबंध, ठेकेदार को नकद या किसी अन्य तरीके से ऐसा भुगतान करते समय, ऐसी राशि के दो प्रतिशत के बराबर राशि की आंशिक रूप से

कटौती करेगा या, जैसा भी मामला हो, ऐसे कार्य अनुबंध के कारण इस अधिनियम के तहत देय कर की पूरी संतुष्टि होगी।”

(8) यह प्रावधान एक कार्य ठेकेदार को देय राशि से कर कटौती करने को अधिकृत करता है।” भुगतान किसी भी दायित्व के निर्वहन के लिए होना चाहिए।” यह दायित्व “कार्य अनुबंध के अनुसरण में माल में संपत्ति के हस्तांतरण (चाहे माल के रूप में या किसी अन्य रूप में)” के कारण होना चाहिए.....यह स्पष्ट है कि जब तक “माल में संपत्ति का हस्तांतरण” नहीं होता है, तब तक कोई कटौती करने का कोई दायित्व नहीं है।” संशोधन का उद्देश्य भुगतान करते समय कर की कटौती का प्रावधान करना है, यहां तक कि एक ठेकेदार के मामले में भी जो एक कार्य अनुबंध का निष्पादन कर रहा है, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, उदाहरण के लिए-एक घर से संबंधित कार्य अनुबंध के निष्पादन के मामले में, यह माना जाएगा कि ईंट, सीमेंट, रेत और इस्पात आदि बेचे गए हैं। यह सच है कि संपत्ति अपने मूल रूप में ईंटों या सीमेंट आदि में नहीं जाती है। परंतु, कार्य अनुबंध के निष्पादन की प्रक्रिया में, माल एक नया रूप प्राप्त करता है। फिर भी, माना जाता है कि संपत्ति को इन वस्तुओं में स्थानांतरित किया गया था, हालांकि एक अलग रूप में। यह माल में संपत्ति का पारित होना है जिसे बिक्री कर लगाने के लिए अनुपयुक्त बनाया गया है। ठेकेदार को भुगतान करने वाले व्यक्ति को 2 प्रतिशत की कटौती करनी होती है।

(9) वर्तमान मामले में क्या स्थिति है?

(10) याचिकाकर्ता केवल श्रम की आपूर्ति कर रहा है। वह किसी भी सामान की आपूर्ति नहीं कर रहा है। किसी भी रूप में कोई सामग्री, वस्तु या वस्तु हस्तांतरित नहीं की जा रही। श्रम की आपूर्ति एक सेवा हो सकती है। परंतु, इसमें माल में संपत्ति का कोई हस्तांतरण शामिल नहीं है। इस प्रकार, कोई बिक्री कर या खरीद कर नहीं लगाया जाता है। नतीजतन, कोई कटौती नहीं की जा सकती है।

(11) प्रतिवादीगण की ओर से दायर लिखित बयान में दूरसंचार विभाग द्वारा विभिन्न अधिकारियों को जारी किए गए निर्देशों का संदर्भ दिया गया है। आम तौर पर, निर्देशों में कर लगाने का प्रावधान नहीं हो सकता है। यह सुझाव भी नहीं दिया गया था कि ये निर्देश बिक्री कर लगाने को अधिकृत करते हैं। नतीजतन, वर्तमान मामले में उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

(12) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया।

(13) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, शुरुआत में पूछे गए प्रश्न का उत्तर

नकारात्मक में दिया जाता है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि 1997 के अधिनियम संख्या 7 द्वारा अधिनियमित धारा 10-सी के प्रावधानों के तहत भी श्रम की आपूर्ति पर बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता है।

(14) नतीजतन, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है। बिक्री कर के उद्ग्रहण और कटौती को खारिज किया जाता है। प्रतिवादीगण को श्रम की आपूर्ति के कारण याचिकाकर्ता से पहले से काटे गए या एकत्र किए गए बिक्री कर को वापस करने का निर्देश दिया जाता है। विवादित आदेशों को उस हद तक रद्द कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता अपने खर्चों का हकदार होगा जो ₹ 2000 है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा